

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937

No. 336]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2015

सा.का.नि. 424(अ).—दीपस्तंभ अधिनियम 1927 (1927 के 17) की धारा (4) की उप धारा (1) के अनुच्छेद (ड.) की धारा 21 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात केन्द्र सरकार, दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्ति नियमावली, 1993 के परिशिष्ट के नियम 8.1 के अंत में निम्नलिखित को सिम्मलित करने का संशोधन करती है:

8.1 (i), दीपस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्ति नियमावली, 1993 के अनुबंध — 1 के अनुसार 'दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय की वेबसाइट <u>www.dgll.nic.in</u> और सिंडीकेट बैंक की वेबसाइट <u>www.syndicatebank.in</u> के माध्यम से प्रकाश शुल्क का भुगतान, ऑनलाइन भी किया जा सकता है। प्रकाश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन भुगतान के मानक प्रचालन पद्धति (एस ओ पी) के अनुसार होगा।'

[फा. सं. एल एच-11020/17/2014-एस एल]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुबंध—1

प्रकाश शुल्क के ऑनलाइन मुगतान हेतु मानक प्रचालन पद्धति (एस ओ पी)

- (1) प्रकाश शुल्क के ऑनलाइन भुगतान हेतु दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय की वेबसाइट <u>www.dgll.nic.in</u> अथवा सिंडीकेट बैंक की वेबसाइट <u>www.syndicatebank.in</u> के विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
- (2) ग्राहक को भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश द्वार की ओर निदेशित करने तक विंडोज़ क्रमिक रूप से खुलता रहता है।
- (2)(क) टी इ यू के रूप में पंजीकृत कंटेनर जहाजों के लिए यदि पोत विवरण दर्ज करने के पश्चात, टी इ यू वैल्यू प्रकट नहीं होता है तो मैन्अल रूप से दर्ज किया जाए।
- (3) सफल भुगतान के पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी रसीद प्रपत्र संख्या——सहित (रैनडम ढंग से उत्पन्न) होगी। निकासी की स्वीकृति/प्रकाश शुल्क के भुगतान की अनुमित के लिए इलेक्ट्रॉनिकी रसीद के प्रिंट को 'विशिष्ट अधिकारी' के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (4) यदि भुगतान असफल रहता है तो मेसर्स सिंडीकेट बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान उसी खाते और बैंक को होगा, जहाँ से भुगतान प्रेषित किया गया था। ग्राहक के किसी प्रकार की शंका का निदान ई मेल द्वारा ही किया जाएगा और इसकी सुनिश्चतता बैंक द्वारा की जाएगी। सिंडीकेट बैंक ई मेल द्वारा भुगतान की जानकारी कस्टम, पी सी सी ए, वेतन और लेखा अधिकारी और दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा को प्रेषित करेगा। कस्टम को भेजी जाने वाली भुगतान के विवरण की जानकारी कस्टम के एस एम टी पी मेल सूची (ICEGATE domain) पर ही प्रेषित की जाए।

- (5) 'विशिष्ट अधिकारी' दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त यूज़र आइ डी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए ग्राहक द्वारा सिंडीकेट बैंक की वेबसाइट को व्यवहार में लाते हुए जमा की गई रसीदों की रकम की जॉंच करेगा। 'विशिष्ट अधिकारी' ग्राहक द्वारा प्रस्तुत रसीदों का मिलान करेगा और प्रामाणिक रसीद पर अनुमित प्रदान करेगा। कस्टम द्वारा रसीद पर प्रदान किए गए स्थान पर हस्ताक्षर और मोहर अंकित की जाएगी।
- (6) 'विशिष्ट अधिकारी' माहवार जारी की गई अनुमति की संख्या के विवरण का मिलान करेगा और दस्ती रूप से प्राप्त विवरण के साथ प्राप्त चालान की जानकारी दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा को उपलब्ध कराएगा।
- (7) 'विशिष्ट अधिकारी' की सिफारिश पर आई एल एच 10 के प्रपन्न में प्रकाश शुल्क के पुनः भुगतान की विधिवत प्रमाणित जानकारी दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा को उपलब्ध कराएगा।
- (8) ऑनलाइन भुगतान के प्राप्ति के पश्चात वसूली करने वाली शाखा प्राप्तियों की सूची बनाएगी और सिंडीकेट बैंक के सी बी एस प्रणाली के द्वारा राशि को दीपस्तम के खाते में जमा कराएगी और इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराएगी। T+1 यह सुनिश्चित करेगा कि किस समय पर लेनदेन हुआ है।
- (9) फोकल प्वांईट शाखा (एफ पी बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 'विभागीकृत मंत्रालयों की रिपोर्टिंग और लेखा के लेन देन की प्रणाली' में निर्धारित सरकारी लेनदेन की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का अनुपालन सी जी ए से परामर्श के पश्चात करेंगे, जैसा कि (सिंडीकेट बैंक के लिए लागू है) समय समय पर संशोधित किए जाते रहते हैं।
- (10) सिंडीकेट बैंक के फोकल प्वाईंट शाखा अपने सिस्टम से शाखावार लेनेदेन का विवरण (पोत के मालिक का विवरण, पता, पोत की पंजीकरण संख्या आदि) की जानकारी संग्रहण करने वाली शाखाओं से मुख्य प्राप्तियों की प्रति डाउनलोड करेगा और बैक प्राधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात वेतन और लेखा अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत, पोत परिवहन मंत्रालय को अग्रेषित करेगा ।
- (11) फोकल प्वाईट शाखा (एफ पी बी) द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी को प्रेषित प्राप्तियों की जानकारी दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय और पी सी ए को भी दैनिक आधार पर (सायं 08:00 बजे उस दिन के लेनदेन को समाप्त माना जाएगा) अग्रेषित की जाएगी।
- (12) फोकल प्वाईट शाखा के दैनिक प्राप्तियों की जानकारी को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण रिपोर्ट की जानकारी के संदर्भ में वंतन और लेखा अधिकारी (दीपस्तंभ और दीपपोत) जांच कर मिलान करेगा और दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय और पी सी ए को इसकी पुष्टि करेगा। किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में बैंक को 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट की जाए और पूर्णतः निपटारा होने तक मामले का दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय द्वारा संज्ञान लिया जाए।
- (13) सीमा शुल्क विभाग द्वारा कंटेनरों और अन्य प्रकार के पोतों से संग्रहीत की जाने वाले प्रकाश शुल्क की जानकारी का विवरण दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा पत्तनवार लेखा जोखा का रिकार्ड का रख रखाव किया जाए।

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2015

- G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred of sub-section (1) of Section 21 read with clause (e) of sub-section (I) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), and after consultation with the Central Advisory Committee, the Central Government hereby make the following Addendum to amend the Lighthouse Accounting and Financial Power Rules, 1993 At the end of existing Rule 8.1 the following shall be added:
- 8.1 (i), "Light-dues can be paid online also through DGLL website www.dgll.nic.in and Syndicate Bank website www.syndicatebank.in. The Online payment shall be as per the Standard Operating Procedures (SOP) of online payment of Light-dues" as at Annex-1 of Lighthouse Accounting and Financial Power Rules, 1993.

[F. No. LH-11020/17/2014-SL]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

ANNEX-1

Standard Operating Procedure for Online Payment of Lightdues

- (1) The option "DGLL Lightdues" on the Directorate General of Lighthouses & Lightships (DGLL) website "www.dgll.nic.in" or on Syndicate Bank website "www.syndicatebank.in", can be accessed for paying Online Lightdues.
- (2) The window opens sequentially till the customer is directed to electronic gateway for making payment.
- (2a) For container vessels registered TEU (Twenty-foot equivalent Unit) may be entered manually, in case TEU value does not appear after entering vessel details.

- An Electronic receipt with Form No. ---- (randomly generated) will be generated after successful payment. The print out of the electronic receipt shall be produced to the "proper officer" for grant of clearance /permission of Lightdues.
- In case, the payment fails, M/s Syndicate Bank shall ensure that the payment is remitted to the same accounts & bank from where payment is remitted. Any query from customer to be replied through email which need to be ensured by the bank. The Syndicate bank forwards the payment details through email to Custom, PCCA, PAO LHLS and DGLL. The payment details to the Customs should be forwarded on SMTP Mail list (ICEGATE domain) of the Customs.
- The "Proper officer"shall verify the payment receipt produced by the customer by logging to Syndicate bank website through Login: User ID and password, provided to them by Directorate General of Lighthouses & Lightships. The proper officer shall correlate the receipt produced by the customer and grant permission on authentic receipt. The receipt is to be signed and stamped by the Customs at the space provided for the purpose.
- (6) The "Proper officer" shall compile the information relating to the number of permission issued on a monthly basis and send the same to the DGLL Noida along with challan received manually with a statement.
- (7) In case of re-payment of Lightdues based on the recommendation of "Proper Officer" form ILH-10 duly certified is to be submitted to Directorate General of Lighthouses & Lightships, Noida.
- (8) After the receipt of payment online, the Focal Point Branch will scroll the receipts and shall directly remit the collected funds to RBI after receipt of funds at branch (T) on T+1 basis including put through as prescribed in RBI Guidelines.
- (9) The Focal Point Branch (FPB) shall follow the normal procedure of reporting the government transactions as prescribed in the "Procedure for reporting and accounting of transactions of Departmentalized ministries" by RBI in consultation with CGA, as amended from time to time (as applicable to Syndicate Bank).
- (10) Focal point Branch of the Syndicate Bank will download from their system a copy of the Main scroll with collecting branch-wise details of transactions (indicating therein the details of the ship owner, address, Registration Number of ship etc.) and forward it to the PAO (LHLS) Ministry of Shipping after being duly signed by the Bank Authorities.
- (11) A copy of the scroll information furnished to the PAO by the FPB will also be forwarded to DGLL and PCCA on day to day basis (2000Hrs. is considered end of transaction for the day).
- (12) The PAO (LHLS) Noida shall also verify and reconcile the daily scroll information of the FPB with reference to the remittances reported by RBI and confirm same to DGLL and PCCA. In case of any discrepancies, same shall be reported to the bank within 24 hours and to be monitored by DGLL till issue is resolved completely.
- (13) DGLL office will maintain records to indicate receipts on account of collection of light-dues by Customs department port wise separately for containers & other type of vessels.